



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकर)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN: U40101UP2004SGC028687

संख्या: 800—पारे०अनु०—०४ / पाट्रकालि / 2023—(74) / 2013 (टी०सी०—IV)

दिनांक : २३ नवम्बर, 2023

निदेशक
पेशन निदेशालय,
इन्द्रिया भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय:- उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो के पेशनरों/पारिवारिक पेशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक 01.07.2023 से महँगाई राहत की एक और किश्त स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेशनरों को उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्कृतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2023 से महँगाई राहत की 04 प्रतिशत की एक और किश्त अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति वित्त (सामान्य) अनुभाग—3, उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या—25 / 2023 / आई / 424662 / 2023 / फा०न०—10—22099 / 1401 / 2020, दिनांक: 08.11.2023 द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई है।

उक्त के अनुक्रम में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो के पेशनरों/पारिवारिक पेशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से देय पुनरीक्षित पेशन/पारिवारिक पेशन पर महँगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	महँगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महँगाई राहत की देय किश्त की दर	महँगाई राहत की देय कुल दर (मासिक)
1.	01 जुलाई, 2023	04 प्रतिशत	46 प्रतिशत

- 2— महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उसके अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।
- 3— दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेशन पर भी उपर्युक्तानुसार महँगाई राहत अनुमन्य होगी।
- 4— पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1054—डब्लू०सी० / रा०वि०प०(ओ०सं० / उन्नीस)–14(23)एफ / 85, दिनांक 16 जून, 1988 में निर्गत आदेशानुसार पेशन पर उक्त अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक(लेखा) / उप मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः अधिकारियों / राजकीय कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।
- 5— महँगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्त एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

मवदीय,

(राकेश प्रसाद)

निदेशक (काठप्रब० एवं प्रशात०)

(फ्रमरा:.....2)

(2)

संख्या : 800(1)–पारेओनु०–०४ / पाट्राकालि / 23–७४ / 2013(टी०सी०–IV) / तददिनांक :

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अपर सचिव (पारेषण), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण—।/।), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
9. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
12. समर्त उपमहाप्रबन्धक / उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (पैंशन), लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- ✓ 15. अधिशासी अभियन्ता (स०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से
Satyarthi
(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण—तृतीय)